

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

औरैया, फतेहपुर, प्रयागराज, बहराइच, आगरा, बांदा, बलिया, इटावा एवं गोण्डा ।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ दिनांक: 12 अक्टूबर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा राहत की वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान पोर्टल" पर फीड की गयी सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये ₹० 1,43,18,688/- (रुपये एक करोड़ तैंतालिस लाख अठ्ठास हजार छः सौ अठ्ठासी मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-3 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹० लाख में)
1	2	3
1	औरैया	17,80,322
2	फतेहपुर	98,189
3	प्रयागराज	13,88,089
4	बहराइच	13,29,678
5	आगरा	42,69,191
6	बांदा	24,73,936
7	बलिया	29,05,023
8	इटावा	58,182
9	गोण्डा	16,078
योग		1,43,18,688

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माइयूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक- 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक- 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पदकर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये ₹01,43,18,688/- (रुपये एक करोड़ तैंतालिस लाख अट्ठारह हजार छः सौ अट्ठासी मात्र) को चालू वितीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिंह)
सचिव।

संख्या-1921/एक-10-2022-33(11)/2021. तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0 ।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।
e

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-13/10/2022

प्रेषण संख्या:- 1921
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1921
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4269191 14269191	4269191 14269191
2	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	58182 8458182	58182 8458182
3	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	98189 5098189	98189 5098189
4	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1388089 23088089	1388089 23088089
5	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2473936 6873936	2473936 6873936
6	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2905023 46705023	2905023 46705023
7	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16078 29953078	16078 29953078
8	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1329678 26129678	1329678 26129678
9	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1780322 13780322	1780322 13780322
	योग	वर्तमान प्रगामी	14318688 174355688	14318688 174355688

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तियालीस लाख अठारह हजार छः सौ अठासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ तियालीस लाख पचपन हजार छः सौ अठासी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आगुस्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।